न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

बसन्ती बनाम तहसीलदार

प्रार्थना पत्र संख्या : 19 / 2024

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	05/07/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार आमेर की ओर से मूलवाद में जवाब/रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। अतः पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही मूलवाद के साथ दिनांक 10/07/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	10/07/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रा० पत्र टी. आई. पर सुनी गई। प्रार्थनापत्र टी. आई. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि ग्राम जुगलपुरा तह. आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ. ख. नं. 624 रकबा 1.01 हे. (1.01 हे.) की प्रार्थीया एक मात्र रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी का आवंटन दिनांक 25.05.76 को प्रार्थीया के हक में किया गया था। जिसके उपरान्त प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करते हुए गैर खातेदारी का नामांतकरण [सं. 63] प्रार्थीया के नाम खोला गया। जिसका अंकन राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2032-2035 में किया गया। उक्त क्रम में आराजी भूमि उल्लेखित का गैर खातेदारी से खातेदारी नामांतकरण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O

फर्द अहकाम

बसन्ती देवी बनाम सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

संख्या 19/2024 (प्रा. पत्र टी. आई.)

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10/7/24	सं. 145 दिनांक 24.5.86 को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। जो सम्वत् 2053 तक प्रभावी रहा। इस प्रकार उल्लेखित आराजी भूमि ख. नं. 624 रकबा 1.01 प्रार्थीया की खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित चली आ रही थी। परन्तु एकीकरण के समय राजस्व कर्मचारियों के द्वारा प्रार्थीया की उक्त आराजी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में सहवन् से खातेदारी भूमि से गैरखातेदारी भूमि के रूप में दर्ज कर दी गई। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीया द्वारा उजरदारी प्रस्तुत करने पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा वाद न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु कहे जाने पर वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। अप्रार्थी द्वारा हाल में प्रार्थीया को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई। जिससे प्रार्थीया को वादकारण उत्पन्न होकर वाद मय प्रा. पत्र टी. आई. न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। जिसके अन्तर्गत तथ्यों व प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित है। जिसके आधार पर यदि मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थी, प्रार्थीया को उसके स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त भूमि से बेदखल कर देगे। जिससे प्रार्थीया के विधिक अधिकारों का हनन होगा तथा	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

बसन्ती देवी बनाम राज-सरकार

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 19/2024 (प्रा. पत्र टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10/7/24	प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति कारित होगी। तथा वाद बहुलता बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह ग्राम जुगलपुरा तह. आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी भूमि ख.नं. 624 रकबा 1.01 हे. से प्रार्थीया को बेदखल ना करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। प्रार्थीया के वर्णित तथ्यों के संदर्भ में अप्रार्थी तहसीलदार आमेर से जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिसके क्रम में अप्रार्थी तहसीलदार आमेर की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत कर पूर्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2036-2039 में प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज होना तथा दौराने सेटलमेन्ट सहवन से भूमि खातेदारी से गैर खातेदारी में अंकित हो जाना तस्दीक किया गया है। इस प्रकार तथ्यों के समग्र विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होता है अतः न्यायहित व वाद बहुलता के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार आमेर को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम जुगलपुरा तह. आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

बसन्ती देवी बनाम राज-सरकार

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

19/2024 (प्रा. पत्र टी. आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/7/24	आ. ख.नं. 624 रकबा 1.01 हे. की रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे तथा प्रार्थीया को भूमि से बेदखल ना करें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा हाजा दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	